

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID: cmof@nptc@bharoda.org, www.nagarपालिकाभिलाईचरौदा.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

परिषद की सामान्य सभा (बैठक) दिनांक 12.10.2017

प्रस्ताव क्रमांक-09


अकुशल सफाई कामगार प्रदाय करने के लिये निविदा से प्राप्त न्यूनतम दर की स्वीकृति के संबंध में विचार एवं निर्णय।
निकाय क्षेत्रांतर्गत मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पत्र क्र. एफ 4-11/2015/16 दिनांक 09.07.2015 द्वारा 106 अकुशल सफाई कामगार रखने की अनुमति दी गई है। एम आई सी के निर्णय दिनांक 23.06.2017 के संकल्प क्रमांक 03 द्वारा राशि 1,47,50,717 रु की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति व निविदा आमंत्रण की अनुमति दी गई है।

उपरोक्तानुसार श्रमिक प्रदाय करने के लिये प्रथम ई-निविदा सिस्टम टेण्डर नंबर 19609 में एक निविदा प्राप्त होने के कारण द्वितीय ई-निविदा सिस्टम टेण्डर 20263 आमंत्रित किया गया। निर्धारित अवधि में प्राप्त निविदाओं में बालाजी महिला जागृति समिति, से-01 भिलाई की प्राप्त दर 8.25 प्रतिशत अधिक न्यूनतम है। जिसकी स्वीकृति की अनुशंसा निविदा समिति की बैठक दिनांक 26.08.2017 निर्णय क्र. 02 द्वारा की गई है। अतएव बालाजी महिला जागृति समिति, से-01 भिलाई की दर 8.25% अधिक (कलेक्टर दर से) एवं व्यय राशि रु 1,30,75,925.00 मात्र की वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प -09

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई उपरोक्तानुसार ई-निविदा सिस्टम टेण्डर 20263 मेसर्स बालाजी महिला जागृति समिति सेक्टर-1 भिलाई की प्राप्त दर 8.25 प्रतिशत अधिक कलेक्टर दर से एवं व्यय राशि रूपय 1,30,75,925.00 रूपये मांग एवं समय-समय पर कलेक्टर दर में होने वाले वृद्धि पर होने वाले व्यय की वित्तीय स्वीकृति का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है।


सचिव


अध्यक्ष (स्पीकर)

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-वरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID: cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

परिषद की सामान्य सभा (बैठक) दिनांक 12.10.2017

प्रस्ताव क्रमांक-10

ट्रान्सपोर्ट नगर विकास योजना के संबंध में प्रकरण एम.आई.सी.में प्रस्तुत किए जाने हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण के पत्र क्र./3040दिनांक - 07.11.2015 द्वारा ट्रान्सपोर्ट नगर फेस-1, फेस-2 हेतु कुल रूपये 4,956.32 लाख की सैद्धान्तिकस्वीकृति प्राप्त हुई।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक - 08.11.2015 को राशि 50.00 करोड़ की घोषणा की गई। घोषणा के अनुरूप निकाय द्वारा ट्रान्सपोर्ट नगर फेस-I एवं फेस-II की योजना हेतु वास्तुविद चयन कर योजना तैयार किया गया।

वास्तुविद द्वारा फेस-I रू. 2,685.66 लाख एवं फेस-II रू. 2,434.20 लाख राशि का विस्तृत योजना तैयार किया गया, जिसमें अभिन्यास के स्वीकृति हेतु पत्र क्र.- 299 दिनांक - 15.07.2016 द्वारा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग को प्रेषित किया गया। संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर प्रेषित किया गया। प्रभारी संचालक से व्यक्तिगत संपर्क किया, जिसमें प्रस्तावित फेस-II योजना में समाहित भूखण्ड का स्वामित्व की मांग की गई।

प्रस्तावित फेस-II योजना में प.ह. हथखोज के कुल खसरा 13 एवं प.ह. छावनी के कुल खसरा 12 समाहित है, जिसका हस्तांतरण वर्ष 1986 में उद्योग विभाग द्वारा तत्समय विघटित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भिलाई को किया गया। जिसका अद्यतन राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से दिनांक - 26.11.2016 को दावा आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित तिथि में एक भी दावा आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ। ग्राम - हथखोज, प.ह.नं. 13 द्वारा खसरा नं. 349/2, 351/1, 352, 353, 354, 354/1, 355/1, 356, 357, 358/3, 359/1, 360/1, 361/1 का पांचशाला रकबा प्राप्त हो गया है, किन्तु ग्राम - छावनी पटवारी हल्का अन्तर्गत 3837, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3845, 3846, 3847, 3848, 3849, 3850 का पांचशाला, खसरा एवं रकबा प्राप्त नहीं हुआ है।

ट्रान्सपोर्ट नगर फेस-I एवं फेस -II की तकनीकी स्वीकृति हेतु कार्यालयीन पत्र क्र./1054 दिनांक - 10.07.2017 द्वारा मुख्य अभियंता, यांत्रिकी प्रकोष्ठ, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर (छ.ग.) को प्रेषित की गई।

प्रभारी अधिकारी, राज्य प्रवर्तित योजना, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नया रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्र./09/सूडा/2017-18/3272, दिनांक - 10.08.2017 के स्मरण पत्र द्वारा ट्रान्सपोर्ट नगर निर्माण फेस-I हेतु राशि 3,884.80 लाख रू. एवं फेस-II हेतु राशि 1,071.52 लाख रू., इस प्रकार कुल राशि 4,956.32 लाख रू. की सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी करते हुए निम्नानुसार दस्तावेजों की प्रतिपूर्ति हेतु लेख किया गया था :-

1. तकनीकी स्वीकृति युक्त प्राक्कलन।
2. तकनीकी प्रतिवेदन।
3. खसरा भू-अभिलेख/भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र।

4. Town & Country Planning से अनुमोदित अभिन्यास।
5. परिषद् संकल्प 70% ऋण व्यवस्था संबंधी प्रमाण पत्र।
6. CA से अभिप्रमाणित आय-व्यय पत्रक विगत 03 वर्षों का।
7. Repayent Shedule

उपरोक्तानुसार उल्लेखित कार्यों में कंडिका क्र. 01 एवं 02 शासन को प्रेषित की गई, कंडिका क्र. 03 की कार्यवाही निकाय द्वारा पृथक से की जा रही है, तदोपरांत कंडिका क्र. 04 की कार्यवाही Town & Country Planning से की जावेगी, कंडिका क्र. 06 एवं 07 पृथक से कार्यवाही की जा रही है।


कंडिका क्र. 05 योजनान्तर्गत 70: ऋण हेतु मांग की गई है, जिसमें निकाय द्वारा फेस -II अन्तर्गत विकसति भूखण्डों से ऋण की अदायकी की जावेगी।

उपरोक्तानुसार प्रकरण महापौर परिषद् के समक्षपरिषद् संकल्प 70% ऋण व्यवस्था की अनुशंसा हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

संकल्प -10

उपरोक्त प्रस्ताव ट्रान्सपोर्ट नगर पर 70% ऋण कि व्यवस्था हेतु अनुशंसा का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है।


सचिव


अध्यक्ष (स्पीकर)

परिषद की सामान्य सभा (बैठक) दिनांक 12.10.2017

प्रस्ताव क्रमांक-11

मिनी/इंडोर स्टेडियम के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराए जाने के लिए चयनित स्थलों का विवरण तैयार कर प्रेषित किए जाने पर विचार।

अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि. उपसंभाग क्र. 03, दुर्ग के पत्र क्र. /1036/शिल्प, दुर्ग दिनांक -02.05.2017 के तहत "बजट वर्ष 20147-18 मद क्र. 1224 में सम्मिलित कार्य मिनी/इंडोर स्टेडियम के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराए जाने" की मांग की गई है। भिलाई-03 में अर्द्ध निर्मित स्टेडियम में बसे हुए वार्ड क्र. 13 के कुंदरापारा के 127 हितग्राहियों का प्रधानमंत्री आवास योजना में व्यवस्थापन किया जाना है। इसमें भवन निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, अतएव लगभग एक से ढेड़ वर्ष समय लगेगा।

अतएव उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सलाहकार समिति की बैठक दिनांक -19.09.2017 को समिति के सदस्यों द्वारा निम्नानुसार स्थलों का चयन किया गया :-

1. वार्ड क्र. 04 जरवाय शा. भूमि,
2. वार्ड क्र. 07 विश्व बैंक कॉलोनी शा. भूमि,
3. वार्ड क्र. 14 वाम्बे आवास योजना शा. भूमि,


अतएव चयनित स्थलों की स्वीकृति हेतु प्रकरण महापौर परिषद के समक्ष प्रेषित किए जाने विचारार्थ प्रस्तुत।

संकल्प -11

प्रकरण प्रस्तुत अनुसार सरल क्रं. 01 वार्ड क्रं. 04 जरवाय के शासकीय भूमि का चयन करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है।



सचिव



अध्यक्ष (स्पीकर)

परिषद की सामान्य सभा (बैठक) दिनांक 12.10.2017

प्रस्ताव क्रमांक-12

नगर पालिक निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न दुकानों/कार्यालय इत्यादि हेतु आरक्षण नियम।

नगर पालिक निगम क्षेत्रान्तर्गत भिलाई-3 व्यासायिक परिसर का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री पालिका बाजार अन्तर्गत दिये गये निर्देशानुसार दुकानों का आरक्षण छ.ग. नगर पालिका (अचल संपत्ति अंतरण) नियम 1994 के अनुसार किया जाना है। निकाय वर्ष 2011 जनगणनानुसार संलग्न पत्रक में विभिन्न श्रेणी के लिये दुकानों का आरक्षण किया गया है।

उपरोक्तानुसार वर्ष 2011 जनगणना अनुसार दुकानों का 1 से 100 तक किया गया प्रकरण महापौर परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।


संकल्प -12

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा हुई जनगणना 2011 के आधार पर छ. ग. नगर पालिका (अचल संपत्ति अंतरण) नियम 1994 के अनुसार आरक्षण रोस्टर निम्नानुसार है :-

क्रं.	वर्ग	जनसंख्या	प्रतिशत	आरक्षण की संख्या			रिमांक
				मुक्त	महिला	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अनुसूचित जाति	15420	16	14	2	16	
2	अनुसूचित जनजाति	5640	6	5	1	6	
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	-	15	13	2	15	
4	विधवाओं एवं परित्यक्त महिलाओं के लिए	-	3	3	0	3	
5	विकलांगों के लिए (इसमें दृष्टिहीन विकलांगों को प्राथमिकता दी जावेगी।)	-	2	2	0	2	
6	भूतिपूर्व सैनिकों के लिए	-	2	2	0	2	
7	स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के लिए	-	2	2	0	2	
8	शिक्षित बेरोजगारों के लिए	-	5	4	1	5	
9	ट्रांसजेंडर (अन्य लिंग) के लिए	-	2	2	0	2	
10	अनारक्षित	-	-	43	4	47	
योग :-		98008		90	10	100	

उक्त आरक्षण रोस्टर का अनुमोदन सर्वसम्मति से लिया जाता है।


सचिव


अध्यक्ष (स्पीकर)

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

Email ID: cmofillalchardoda@gmail.com, www.nagarपालिकाभिलाईचरौदा.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

परिषद की सामान्य सभा (बैठक) दिनांक 12.10.2017

प्रस्ताव क्रमांक-13

भिलाई-3 व्यावसायिक परिसर में निर्मित दुकानों, कार्यालय/रेस्टोरेंट के विक्रय हेतु आफसेट प्राईज व नियम एवं शर्तों का अनुमोदन/अनुमति बाबत।

व्यावसायिक परिसर निर्माण हेतु विशिष्ट प्रयोजार्थ मद (ऋण एवं अनुदान) से राशि 894.12 लाख रू. की नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

मुख्य अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्र./1269, दिनांक - 16.03.2010 द्वारा प्रदान की गई। आदेश क्र. - 4556/3384 /18/2011 रायपुर, दिनांक - 28.06.2011 द्वारा राशि 894.12 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। तदोपरांत कार्य की आवश्यकतानुसार पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई।

निविदा शर्तों का अनुमोदनोपरांत ई-निविदा आमंत्रित की गई, प्रथम आमंत्रित निविदा में दरें अधिक प्राप्त होने पर पुनः ई-निविदा आमंत्रित की गई, जिसमें नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पत्र क्र./3984/दिनांक - 13.12.2012 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

व्यावसायिक परिसर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। बाह्य विद्युतीकरण हेतु छ.ग. राज्य विद्युत मंडल से डिमाण्ड राशि प्राप्त नहीं हुआ है।

मुख्यमंत्री पालिका बाजार के दिशा-निर्देशानुसार भिलाई-03 व्यावसायिक परिसर में निर्मित दुकानों/कार्यालय हेतु दरों का आंकलन कर नियम एवं शर्तों का अनुमोदन हेतु प्रकरण महापौर परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प -13

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई जिसमें पालिका बाजार (व्यावसायिक परिसर) में दुकानों का न्यूनतम ऑफसेट मूल्य निम्नानुसार है :-

Shop N	Area	Cost per sq.met	Minimum offset
1	21.96	34065.05	748,068.50
2	21.35	34065.05	727,288.82
3	21.35	34065.05	727,288.82
4	21.35	34065.05	727,288.82
5	21.35	34065.05	727,288.82
6	21.35	34065.05	727,288.82
7	21.96	34065.05	748,068.50
8	21.96	34065.05	748,068.50
9	21.35	34065.05	727,288.82
10	21.35	34065.05	727,288.82
11	21.35	34065.05	727,288.82
12	21.35	34065.05	727,288.82
13	21.35	34065.05	727,288.82
14	21.96	34065.05	748,068.50
15	11.84	34065.05	403,330.19
16	21.68	34065.05	738,530.28
17	21.7	34065.05	739,211.59
18	21.7	34065.05	739,211.59
19	21.7	34065.05	739,211.59
20	21.7	34065.05	739,211.59
21	22.44	34065.05	764,419.72
22	22.44	34065.05	764,419.72
23	21.7	34065.05	739,211.59
24	22.32	34065.05	760,331.92
25	21.96	34065.05	748,068.50
26	21.35	34065.05	727,288.82

27	21.35	34065.05	727,288.82
28	21.35	34065.05	727,288.82
29	21.35	34065.05	727,288.82
30	21.35	34065.05	727,288.82
31	21.35	34065.05	727,288.82
32	21.96	34065.05	748,068.50
33	21.96	34065.05	748,068.50
34	21.35	34065.05	727,288.82
35	21.35	34065.05	727,288.82
36	21.35	34065.05	727,288.82
37	21.35	34065.05	727,288.82
38	21.35	34065.05	727,288.82
39	21.35	34065.05	727,288.82
40	21.96	34065.05	748,068.50
41	23.064	34065.05	785,676.31
42	22.44	34065.05	764,419.72
43	21.7	34065.05	739,211.59
44	21.7	34065.05	739,211.59
45	21.7	34065.05	739,211.59
46	21.7	34065.05	739,211.59
47	21.68	34065.05	738,530.28
48	11.84	34065.05	403,330.19
49	21.96	34065.05	748,068.50
50	21.35	34065.05	727,288.82
51	21.35	34065.05	727,288.82
52	21.35	34065.05	727,288.82
53	21.35	34065.05	727,288.82
54	21.35	34065.05	727,288.82
55	21.35	34065.05	727,288.82
56	21.35	34065.05	727,288.82
57	21.35	34065.05	727,288.82
58	21.35	34065.05	727,288.82
59	21.96	34065.05	748,068.50
60	21.96	34065.05	748,068.50
61	21.35	34065.05	727,288.82
62	21.35	34065.05	727,288.82
63	21.35	34065.05	727,288.82
64	21.35	34065.05	727,288.82
65	21.35	34065.05	727,288.82
66	21.35	34065.05	727,288.82
67	21.35	34065.05	727,288.82
68	21.35	34065.05	727,288.82
69	21.35	34065.05	727,288.82
70	21.96	34065.05	748,068.50
		Total	50,844,267.29

<i>Shop N</i>	<i>Area</i>	<i>Cost per sq.met</i>	<i>Minimum offset</i>
1	21.96	26930.05	591,383.90
2	21.35	26930.05	574,956.57
3	21.35	26930.05	574,956.57
4	21.35	26930.05	574,956.57
5	21.35	26930.05	574,956.57
6	21.35	26930.05	574,956.57
7	21.96	26930.05	591,383.90
8	21.96	26930.05	591,383.90
9	21.35	26930.05	574,956.57
10	21.35	26930.05	574,956.57
11	21.35	26930.05	574,956.57
12	21.35	26930.05	574,956.57
13	21.35	26930.05	574,956.57

14	21.96	26930.05	591,383.90
15	22.32	26930.05	601,078.72
16	21.7	26930.05	584,382.09
17	21.7	26930.05	584,382.09
18	21.7	26930.05	584,382.09
19	21.7	26930.05	584,382.09
20	21.7	26930.05	584,382.09
21	22.44	26930.05	604,310.32
22	22.44	26930.05	604,310.32
23	21.7	26930.05	584,382.09
24	22.32	26930.05	601,078.72
25	21.96	26930.05	591,383.90
26	21.35	26930.05	574,956.57
27	21.35	26930.05	574,956.57
28	21.35	26930.05	574,956.57
29	21.35	26930.05	574,956.57
30	21.35	26930.05	574,956.57
31	21.35	26930.05	574,956.57
32	21.96	26930.05	591,383.90
33	21.96	26930.05	591,383.90
34	21.35	26930.05	574,956.57
35	21.35	26930.05	574,956.57
36	21.35	26930.05	574,956.57
37	21.35	26930.05	574,956.57
38	21.35	26930.05	574,956.57
39	21.35	26930.05	574,956.57
40	21.96	26930.05	591,383.90
41	23.064	26930.05	621,114.67
42	22.44	26930.05	604,310.32
43	21.7	26930.05	584,382.09
44	21.7	26930.05	584,382.09
45	21.7	26930.05	584,382.09
46	21.7	26930.05	584,382.09
47	21.7	26930.05	584,382.09
48	22.32	26930.05	601,078.72
49	21.96	26930.05	591,383.90
50	21.35	26930.05	574,956.57
51	21.35	26930.05	574,956.57
52	21.35	26930.05	574,956.57
53	21.35	26930.05	574,956.57
54	21.35	26930.05	574,956.57
55	21.35	26930.05	574,956.57
56	21.35	26930.05	574,956.57
57	21.35	26930.05	574,956.57
58	21.35	26930.05	574,956.57
59	21.96	26930.05	591,383.90
60	21.96	26930.05	591,383.90
61	21.35	26930.05	574,956.57
62	21.35	26930.05	574,956.57
63	21.35	26930.05	574,956.57
64	21.35	26930.05	574,956.57
65	21.35	26930.05	574,956.57
66	21.35	26930.05	574,956.57
67	21.35	26930.05	574,956.57
68	21.35	26930.05	574,956.57
69	21.35	26930.05	574,956.57
70	21.96	26930.05	591,383.90
1513.564		40,760,354.20	

hall no	Area	Cost per sq.met	Minimum offset
1	205.86	20240.05	4,166,616.69
2	446.242	20240.05	9,031,960.39
3	605.532	20240.05	12,255,997.96
4	406.6	20240.05	8,229,604.33
5	539.1	20240.05	10,911,410.96
6	355.71	20240.05	7,199,588.19
7	196.79	20240.05	3,983,039.44
8	153.388	20240.05	3,104,580.79
	2909.222	Total	58,882,798.74

hall no	Area	Cost per sq.meter	Minimum offset Price
1	205.86	20240.05	2,083,308.35
2	446.24	20240.05	4,515,980.20
3	605.53	20240.05	6,127,998.98
4	406.6	20240.05	4,114,802.17
5	539.1	20240.05	5,455,705.48
6	355.71	20240.05	3,599,794.09
7	196.79	20240.05	1,991,519.72
8	153.39	20240.05	1,552,290.39
	2909.222	Total	29,441,399.37

hall no	Area	Cost per sq.met	Minimum offset
1	152.38	19047.05	2,902,389.48
2	351.226	19047.05	6,689,819.18
3	437.27	19047.05	8,328,703.55
4	120.4	19047.05	2,293,264.82
	1061.276	TOTAL	20,214,177.04

hall no	Area	Cost per sq.met	Minimum offset
1	152.38	19047.05	1,451,194.74
2	351.226	19047.05	3,344,909.59
3	437.27	19047.05	4,164,351.78
4	120.4	19047.05	1,146,632.41
	1061.276	TOTAL	10,107,088.52

S.no	Floor	Amount of Premium
1	Ground floor	50,844,267.29
2	first Floor	40,760,354.20
3	Second Floor (option 1)	58,882,798.74
4	Second Floor (option 2)	29,441,399.37
5	Third Floor (option 1)	20,214,177.04
6	Third Floor (option 2)	10,107,088.52

S.no	Floor	Amount of Premium
1	Ground floor	50,844,267.29
2	first Floor	40,760,354.20


3	Second Floor (option 1)	58,882,798.74
4	Third Floor (option 1)	20,214,177.04
	Total	170,701,597.27

S.no	Floor	Amount of Premium
1	Ground floor	50,844,267.29
2	first Floor	40,760,354.20
3	Second Floor (option 2)	29,441,339.27
4	Third Floor (option 2)	10,107,088.52
	Total	131,153,049.28

उक्त पालिका बाजार (व्यावसायिक परिसर) में दुकानों का न्यूनतम ऑफसेट मूल्य निर्धारित है। इस मूल्य के आधार पर प्राप्त उच्चतम बोली राशि में जो राशि प्राप्त होगा उसकी स्वीकृति पर 04.8 प्रतिशत के मान से वार्षिक लीज रेंट लगेगा जोकि शासन के नियमानुसार प्रति 03 वर्ष में वृद्धि होगी। इसके साथ ही इन दुकानों के विक्रय के लिये नियम-शर्तों का भी अनुमोदन किया गया। जो भी ऑफसेट प्राईज पर उच्चतम बोली राशि या लीज रेंट राशि की गणना पूर्णांक में किया जावेगा।

इसी भवन के ऊपरी तल में मिनी प्लैक्स का भी निर्माण एवं संचालन के लिये पी पी मॉडल या अन्य सुविधानुसार सक्षम तकनीकी परिक्षण एवं संरचना इंजीनियर से सुरक्षा एवं स्थायित्व प्रमाण पत्र प्राप्त होने की दशा में निर्माण कराया जावे जिससे की इस भवन की उपयोगिता और अधिक हो। इसके विक्रय के लिये प्रचार-प्रसार किया जावे का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है।


सचिव


अध्यक्ष (स्पीकर)